न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	01/2019
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2012/01490
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	15.01.2019
प्रकरण मे निर्णय की दिनांक	01.02.2021

उनवान

1.छोगालाल पुत्र मोहन कुमावत नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

2.प्यारचन्द पुत्र मोहन कुमावत नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —प्रार्थीगण

बनाम

1.मोहन पुत्र गोकल कुमावत नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

2.बद्रीलाल पुत्र मोहन कुमावत नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

3.कन्हैयालाल पुत्र मोहन कुमावत नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

4.राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा —अप्रार्थीगण

उपस्थित - वकील प्रार्थिया	(1) श्री पदमसिंह देथा
उपस्थित -वकील अप्रार्थीगण	(1) पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतःनिवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र आप न्यायालय में बाबत् खातेदारी की घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया हुआ है जो जैर कार्यवाही है तथा जिसमे समय लगने की संभावना है जिसमें प्रार्थीगणों को अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी। वाद विचारण तक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा पटवार हल्का मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द की सरहद में प्रार्थीगण के दादाजी गोकल पि.सूरजमल के नाम निम्न भूमि खातेदारी संवत 2030 से 2033 की जमाबन्दी के अनुसार हक से दर्ज होकर चली आ रही है –

आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
650		652	
654		660	
1377		1378	
1381		1382	
1394		1396	
1397		1399	
कुल किता 12	कुल रकबा	40 बीघा 8 बिस्वा	सम्पूर्ण हिस्सा
653		656	
657		1372	
1374			
कुल किता 5	कुल रकबा	8 बीघा 14 बिस्वा	हिस्सा ½

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested

6

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

(3) उक्त के पश्चात प्रार्थीगण के दादाजी गोकल पि.सुरजमल कुमावत की मृत्यु हो जाने से उसके विरासत का इन्तकाल प्रार्थीगण के पिता मोहन पिता गोकल के नाम दर्ज किया गया है।

4.उक्त के पश्चात दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि के नवीन भू प्रबन्ध में निम्न आराजी नम्बर कायम किये गये है -

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	आ.नं.	रकबा
मोड़ का निम्बाहेड़ा	2259	0.27	2260	0.23
	2261	0.020	2263	0.33
	2264	0.37	2266	0.09
	2267	0.49	2274	0.03
	2275	0.23	2279	0.08
	2280	0.04	2281	0.06
	2295	0.45	2296	1.04
	2301	0.14		
कुल किता 15		कुल रकबा 4.05 हैक्टर		

5.उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण के दादाजी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण के पिता के नाम विरासत से दर्ज हुई। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक एंव मौरूशी जायदाद है जिसमें कि प्रार्थीगण एंव विपक्षी संख्या 01 से 03 का बराबर-बराबर यानि की प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है। परन्तु जमाबन्दी में केवल विपक्षी संख्या 01 का नाम दर्ज होने से वह उक्त जायदाद में से प्रार्थीगण का हक व हिस्सा खुर्द-बुर्द कर हाल खाते के बल पर उक्त जायदाद को अन्तरित करने पर आमदा है।

6.इसी हाल खाते में दर्ज नाम का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने अवैध रूप से पंजीयन करवाकर उपरोक्त आराजियात में से आ.नं.2295 रकबा 0.45 हैक्टर में से रकबा 0.21 हैक्टर का अवैध बेचान विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम करवा दिया जबकि उपरोक्त आराजियात अविभाजित थी तथा उक्त में प्रार्थीगण का भी 2/5 हक व हिस्सा निहित था जो कि प्रार्थीगणों की मौरूशी जायदाद होने से उक्त बेचान शून्य होकर अवैध है।

7.इस बिनाय पर प्रार्थीगण के हक तक उक्त बेचान स्वतःशून्य है तथा प्रार्थीगण समस्त आराजियात में से 2/5 हक हिस्से तक खातेदारी की घोषणा करवाने एंव स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने तक विरूद्द विपक्षीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

(8) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मूल वाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थीगण विरूद्द विपक्षी संख्या 1 से 3 के अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति इस आशय की पारित फरमायी जावें की उक्त वर्णित भूमि को विपक्षीगण बेचान ,रहन दान-वसीयत आदि नहीं करें ,करावें ,राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।

(9) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर वे बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(10) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तथा कथन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बेचान,रहन,दान,वसीयत आदि न करें करावें के लिये तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

(11) प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है

(12) पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि उक्त विवादित आराजियात में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात के सम्बन्ध में बाद के अन्तिम रूप से फैसला होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी पाया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1से 3 तक को मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि निम्न कृषि भूमि को बेचान, रहन,दान,वसीयत आदि नहीं करें ,करावें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें -

नाम ग्राम	आराजी नम्बार	रकबा	आ.नं.	रकबा
मोड़ का निम्बाहेड़ा	2259	0.27	2260	0.23
	2261	0.020	2263	0.33
	2264	0.37	2266	0.09
	2267	0.49	2274	0.03
	2275	0.23	2279	0.08
	2280	0.04	2281	0.06
	2295	0.24	2295/1	0.10
	2295/2	0.10	2296	1.04
	2301	0.14		
कुल किता 17		कुल रकबा 4.05 हैक्टर		

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को ओपन इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसींद जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested